


(249)

निम्न + 4679/2018/रीवा/भूरा 0

125

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म०प्र० खातियर रीवा कैम्प
संभाग रीवा ॥ म०प्र०॥



श्रीमती प्रेमती पत्नी श्री मन्सुखलाल पाण्डेय उम्र 62 वर्ष,
निवासी ग्राम अमौपुरवा, थाना व तहसील मऊगंज, जिला-
रीवा ॥ म०प्र०॥ ----- आवेदिका

बनाम

आवेदक की ओर से
श्री शमश पाण्डेय उम्र 68
दिनांक 30-7-68
अदालत अफसर
जिला मऊगंज रा ३० खातियर
रीवा

- 1:- चन्द्रमीण प्रसाद पिता श्री रामखेलावन ब्रा० ॥ फौत ॥,
- 2:- श्रीमती गुजरतिया पीत स्व० चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा० ॥ फौत ॥
- 3:- शिवमीण पिता स्व० चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा० उम्र 57 वर्ष,
- 4:- शिवबालक पिता स्व० चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा० उम्र 55 वर्ष,
- 5:- शिवमंगल पिता स्व० चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा० उम्र 53 वर्ष,
- 6:- शिवरतन पिता स्व० चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा० उम्र 50 वर्ष,
- 7:- पुष्पादेवी पिता स्व० चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा०, पीत श्री वृजेन्द्र पाण्डेय, उम्र लगभग 45 वर्ष, सा० पतौर, तहसील उमीरवा, जिला उमीरवा ॥ म०प्र०॥,
- 8:- किरण पाण्डेय पुत्री स्व० श्री चन्द्रमीण प्रसाद ब्रा०, पीत श्री रमेश कुमार पाण्डेय उम्र लगभग 40 वर्ष, नि०ग्राम अकटवाघाट, ॥ बरदीखा ॥ जिला गोरखपुर ॥ उ०प्र०॥,
- 9:- यशशरण पिता श्री चूड़ामीण ब्रा० ॥ फौत ॥,
- 10:- यशोमीत पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद ॥ फौत ॥,
- 11:- पुष्पा उर्फ ललइया पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद पीत भोलानाथ शुक्ला उम्र लगभग 60 वर्ष, सा० दीपापुर, पो०आ० भीमवडी ॥ राजा तालाब ॥ वाराणसी ॥ उ०प्र०॥,
- 12:- मनीषा तिवारी पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद पीत श्री देवीप्रसाद तिवारी उम्र लगभग 55 वर्ष, सा० लालपुर, पो० मिर्जापुराद, जिला वाराणसी ॥ उ०प्र०॥

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

क्रमशः

13:- सा वित्री पीत रघुनाथ §फौत § --- अनागण/गैर पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी
महोदय तहसील मऊगंज जिला रीवा ० म०प्र०
प्र०क्र०- 12/ए 6/04-05 आदेश दिनांक-
22.11.2017 एवं 18.6.2018 अन्तर्गत
धारा 50 म०प्र०भू संविदा 1959 ई०,

मान्यवर,


पुनरीक्षण के आधार निम्न हैं:-

प्रकरण का तथ्य :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में लीवित अपील के अपी० चन्द्रमणि प्रसाद की मृत्यु दिनांक 5.3.06 को हो गयी, परन्तु उनके वारिस्तान ने निर्धारित समय के अन्दर अपी० §स्वर्गीय चन्द्रमणि § के वजाय पक्षकार बनाये जाने का आवेदन नहीं दिया, दिनांक 8.2.07 को स्वर्गीय चन्द्रमणि की मृत्यु दशमति हुये, आदेश 22 नियम 3 जा०दी० का आवेदन दिनांक- 22.3.07 को दिया, जिसके जवाब में रेस्पा० § निगरानीकर्ताओं § ने जवाब प्रस्तुत करते हुये अपी० §स्वर्गीय चन्द्रमणि § की मृत्यु दिनांक 5.3.2006 को होना बताते हुये, प्रकरण ओट हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया, अपी० गण ने मृतक अपी० चन्द्रमणि प्रसाद के मृत्यु वावत् कोई प्रमाण पेश नहीं किया ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.11.17 को आदेश पारित कर आवेदन स्वीकार कर पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र स्वीकार किया, न साक्ष्य लिया, और अपी०के वारिस्तान को कोई प्रमाण पेश करने का निर्देश दिया, वलिक रेस्पा० द्वारा कोई प्रमाण पेश न करने का आधार बनाकर आवेदन स्वीकार किया, जो आदेश वैध है ।

3:- यह कि रेस्पा० §पुनरीक्षण कर्ताओं § ने दिनांक 27.12.17 को स्वर्गीय अपी० के मृत्यु का प्रमाणित प्रमाण-पत्र पेश करते हुये पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी मृत्यु दिनांक 5.3.06 को



राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निमां. 4679/भू.रा. 2018 जिला रीवा

प्रेमवती पाण्डेय विरुद्ध चन्द्रमीन प्रसाद

| 1 | 2 | 3 |
|----------|---|---|
| 16-1-19- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>शांतलाल पाण्डेय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>मन्नावा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>12/366/2004-2005</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22.11.2017, 18.6.18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28-03-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> | |